रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 76] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 21, 1994/फाल्गुन 2, 1915
No. 76] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 21, 1994/PHALGUNA 2, 1915

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 1994

सा.का.नि. 103(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यासी मण्डल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 1994 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

[पत्र सं. [illegible] 1011/7/91–पी.ई.-I]

[illegible] क जोशी, संयुक्त सचिव

अनुसूची

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के न्यासी मंडल ने महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 36) की धारा 124 के साथ पठित धारा 28 के द्वारा दिए गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) विनियमावली, 1988 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाए हैं :—

(1) संक्षिप्त शीर्षक, प्रारम्भ एवं उपादेयता :

इस विनियमावली का नाम जवारलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 1994 है। भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से ये लागू होगी।

(2) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) विनियमावली, 1988 में :—

1. विनियम (2) के उप-विनियम (1) का खण्ड (ग) हटा दिया जाएगा।
2. विनियम 2 का उप-विनियम (2) हटा दिया जाएगा।
3. विनियम–11 के उप-विनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित होगा :—

(4) अनुशासनात्मक प्राधिकारी कर्मचारी को आरोपों की प्रतिलिपि, लांछन या दुराचरण अथवा दुर्व्यवहार का विवरण एवं ऐसे कागज पत्रों तथा साक्षों की सूची उपलब्ध कराएगा या उपलब्ध करने की व्यवस्था करेगा जिससे प्रत्येक आरोप को सिद्ध किया जाना [illegible] और कर्मचारी को 15 दिन के अन्दर अपने बचाव में लिखित रूप [illegible] प्रस्तुत करने के लिए कहेगा और यह कहने के लिए कहेगा कि क्या वह व्यक्तिगत रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहेगा। अनुशासनात्मक प्राधिकारी बचाव में

लिखित विवरण प्रस्तुत करने की अवधि को कर्मचारी के द्वारा अनुरोध करने पर अधिकतम 60 दिनों तक बढ़ा सकता है।

नोट :—मूल विनियमावली दिनांक 6 जनवरी, 1988 के भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 24(अ) के अंतर्गत प्रकाशित हुई थी और पहला संशोधन दिनांक 5 मार्च, 1993 के सा.का.नि. सं 263(अ) के अन्तर्गत प्रकाशित हुआ था।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 1994

G.S.R. 103(E) :—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 124, read with sub-section (1) of Section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Classification, Control & Appeal) (Second Amendment) Regulations, 1994 made by the Board of Trustees for the Port of Jawaharlal Nehru and set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[No. H-11011|7|91-P.E.I.]
ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by Section 28 read with Section 124 of the Major Port Trusts Act, 1963 (36 of 1963) the Board of Trustees of Jawaharlal Nehru Port Trust hereby makes the following Regulations to amend the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Classification, Control & Appeal) Regulations 1988 :—

(1) Short title, commencement and application : These Regulations may be called the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Classification, Control and Appeal) (Second Amendment) Regulations 1994. They shall come into force on the date of their publication in the Gazette of India.

(2) In Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations 1988 :—

(i) Clause (C) of Sub-Regulation (1) of Regulation 2 shall be deleted.

(ii) Sub-Regulation (2) of Regulation 2 shall be deleted.

(iii) The Sub-Regulation (4) of Regulation 11 shall be substituted as follows :—

"(4) The disciplinary authority shall deliver or cause to be delivered to the employee a copy of the articles of charge, the statement of the imputation or misconduct or mis-behaviour and a list of documents and witnesses by which each article of charge is proposed to be sustained and shall require the employee to submit within 15 days of the receipt a written statement of his defence and to state whether he desires to be heard in person. The disciplinary authority may on request extend the time limit up to the maximum of sixty days for submission of the written statement of his defence.

Footnote :—Principal Regulations were published in the Gazette of India vide GSR No. 14(E) dated the Sixth January, 1988 and subsequent amendment was published vide GSR No. 263(E), dated 5-3-93.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994